

Registration no: (23014032023220174426) Date: (12-06-2023) Valid till: (12-6-2026)



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | PATNA
शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अधिकारी / अधिकारी / प्रबंधक

EAST & WEST HIGH SCHOOL, BELA, PATNA
BELA, KHAGAUL - BIHTA ROAD PATNA

विषय:- वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

महाराज,

आपके आवेदन पत्र दिनांक, 20-02-2023 और उसके इसमें आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्तीय समिति के बैठक दिनांक 12-06-2023 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय EAST & WEST HIGH SCHOOL, BELA, PATNA, BELA, KHAGAUL - BIHTA ROAD PATNA, BELA, 801113 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 12-06-2023 से 12-6-2026 अवधि के लिए ओपरेटिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होती।

1. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर गान्धी नहीं होगी।
2. विद्यालय वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में वच्चों के नामांकन की कुत्त क्षमता का 25 प्रतिशत वच्चों का नामांकन अपने पढ़ोस के कमजोर वर्ग एवं असाध्यकारी समूह के वच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु पह कि पांच विद्यालय में पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उल्लिखित वच्चों के नामांकन में विद्यालय को वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अतग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. रोसाइटी / विद्यालय के हारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी वच्चा उसके मातापिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी वच्चे के नामांकन से उसके उभ प्रमाण पत्र के अनुपत्त्वता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर दुंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के हारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएंगे :

- (i) किसी भी नामांकित वच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित वच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी वच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक ढंग नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताङ्गित नहीं किया जाएगा।
 - (iii) किसी भी वच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक वच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग वच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (vi) शिक्षकों वग नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय के द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यरचना का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपत्तिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।



१०. विद्यालय अधिकारी को बता दें कि उपर्युक्त प्राचीन एवं सामग्री को वरकरा रखेगा। विद्यालय के अधिकारी निरीक्षण के दौरान उपर्युक्त सभी जांचें निपटक

(१) विद्यालय एवं बाह्य संरचना - 10137.4 रुपये/मीट्रि

(२) धूप शिखन कुंड - 10137.4 रुपये/मीट्रि

(३) खेल के पैदार के फैसला - COMPUTER LAB, SMART CLASS, LIBRARY, BIG SPORTS GROUND, SPORTS EQUIPMENT'S, CCTV, CAMERAS, WiFi CAMPUS, INTER COM, GENERATOR, INVERTOR, PURE DRINKING WATER.

(४) बच्चे काढ़ी की कुल संख्या - 27

(५) प्राचीनाभास्क- युवा कार्यालय एवं भवान कक्ष - 6

(६) बालक व वया अधिकारी के लिये अलग-अलग शैली कक्ष - Boys : 7, Girls : 5.

(७) विद्यालय की सुविधा - 10

(८) उपचार और भोजन के लिये रसोई पर - 1

(९) वायरलैन पर्टीजन -

(१०) विद्युत अधिकारी साथी छोड़ कुछ उपकरण प्रसाकार्य - WHITE BOARD DUSTER, BLACK BOARD DUSTER, WHITE BOARD MARKER, CHALK, REFERENCE BOOKS, SMART BOARD PROJECTOR, CHART PAPER, , FOOTBALL-2, VOLLEYBALL-1, CRICKET KIT-2 SET, BADMINTON- 5 SET, CARROM BOARD-5, CHESS BOARD- 1, JAVELIN - 6, SHOT PUT - 2, YOGA MAT - 2 , (Y , 350 , NewsPaper Magazine - 2)

११. कोई भी आपलीकूल कुशल विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबंधित नहीं होगा।

१२. विद्यालय- अवास, अवास अव्य संस्कारी अवास देखाने का उपयोग केवल शिक्षा वया कोशल विकास के लिए होगा।

१३. विद्यालय सोशलइट रेडियोएस, १९०० (१९०० का २१) के अन्तर्गत निर्वाचित सोशलइट के द्वारा अवास किसी निर्वाचित समय में लालू जनन के तहत गवित किसी घटनेका दृष्ट के अवास से संबंधित होगा।

१४. विद्यालय किसी व्यक्ति, लालू अवास व्यक्तियों के सभ अवास किसी अव्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संबंधित नहीं होगा।


१५. नेहरा जा अवकाश एवं उपकार प्राचीनकाल चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्वाचित नियमों के आलोक में उपर्युक्त सेवा विवरणी देखाई की जाएगी। अवास नेहरा विवरणी की एक दूरी दूरीवारी विद्या शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

१६. आपके विद्यालय की अवासित प्रत्यक्षित कोड संख्या | 23014032023220174426, 2023 | है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रवाह करने में इस कोड की वर्दित पर उद्दृश्य नियम वाला।

१७. निरीक्षक, प्राचीनकाल शिक्षा : विद्या शिक्षा प्राचीनकाली के द्वारा समय-समाय "मीरा किए गए प्रतिवेदन एवं सूक्तग्रन्थ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाईंगी और अव्य अवकाश के द्वारा से प्रत्यक्षित की जाती के लागतार रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अवास विद्यालय संबोधन से संबंधित कठिनाईयों को द्वारा करने हेतु समय-समय पर अप्रृत्येक जा-अनुसार विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

१८. लालू सोशलइट के विवरण के व्यक्तिगत की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

१९. अवास का दृष्ट देखने के सभ अवास वाले



24/6/23

विद्यालय
60/-
विद्या शिक्षा प्राचीनकाली, PATNA
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

Manager
East & West High School
Patna

24/6/23

Attested
24/6/2023
Principal
EAST & WEST HIGH SCHOOL
BELA, PATNA 22